भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3804

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

20 अग्रहायण, 1941 (शक)

सोशल नेटवर्किंग कंपनियों द्वारा संग्रहीत आंकड़े

3804. श्री रामस्वरूप शर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोशल नेटवर्किंग कंपनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं से लिए गए/संग्रह किए गए आंकड़े सुरक्षित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपरोक्त कंपनियों के स्टोरेज सेंटर भारत में अवस्थित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में स्टोरेज सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार का ऐसी कंपनियों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ङ) : इस समय, देश में डेटा के स्थानीय भण्डारण को अधिदेशित करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तथापि, धारा 43क में क्रमश: सूचना के अनधिकृत अभिगम तथा संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना लीक करने के मामले में शिकार व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने की प्रावधान है। यह "निगमित निकायों" को व्यक्तियों की 'संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना' की रक्षा के लिए 'सुरक्षा प्रक्रियाएं' कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित करती है । सूचना प्रौद्योगिकी (औचित्यपूर्ण सुरक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा अथवा सूचना) नियमावली, 2011 जिसे धारा 43क के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, में यह अधिदेश दिया गया है कि "निगमित निकायों" गोपनीयता और सूचना प्रकटन के लिए नीति उपलब्ध कराएंगे ताकि प्रयोक्ता को एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा की किस्म, संग्रण के प्रयोजन और इस सूचना के इस्तेमाल की भलीभांति जानकारी हो सके। इस नियमों में सूचना एकत्रीकरण, सूचना के प्रकटन और सूचना के हस्तांतरण की विधि भी विनिर्धारित की गई है।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक तैयार कर रहा है तथा इस सदन के पटल पर प्रस्तुत करे का प्रस्ताव है, विधेयक में महत्वपूर्ण और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के स्थानीय भंडारण कार प्रस्ताव है।

*****